पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रो से वांछित में 06 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21-02-2021

दिनांक 20/21-02-2021को रात्रि थाना ठाकुरगंज 01, हसनगंज 02, गुड़म्बा 01, गोमतीनगर विस्तार 02 गिरफ्तार। इस प्रकार वंछित में कुल 06 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 दक्षिणी।

अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना गोसाईगंजः-दिनांक 21-02-2021 को थाना गोसाईगंज द्वारा बताया गया कि दिनांक 18-02-2021 को वादिनी उम्र करीब 16 वर्ष निवासी गोसाईगंज लखनऊ द्वारा थाना गोसाईगंज पर अपने सम्बन्ध में धारा 354/504/506 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट का अभियोग बनाम 01-शिवकुमार यादव के विरूद्व पंजीकृत कराया गया था। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री अर्जुन सिंह थाना गोसाईगंज लखनऊ द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दिनांक 20-02-2021 को** एस0आई0 श्री अर्जुन सिंह थाना गोसाईगंज द्वारा उपरोक्त अभियोग के नामजद अभियुक्त **01-शिवकुमार यादव पुत्र स्0 रामदीन निवासी धौरहरा थाना गोसाईगंज लखनऊ** को ग्राम धौरहरा गोसाईगंज से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्व थाना गोसाईगंज पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

डी0सी0पी0 मध्य

अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार।

बंथराः-दिनांक 21-02-2021 को एस0आई0 श्री अरुण कुमार थाना बंथरा लखनऊ द्वारा अभि0 1-रामविलास पुत्र शिवराम निवासी नटखेड़ा मजरा ऐन थाना बंथरा लखनऊ को ग्राम नटखेड़ा मजरा ऐन से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 10 लीटर अवैध मिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्व थाना बंथरा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

भा0द0वि0

थाना चिनहटः-दिनांक 21-02-2021 को थाना चिनहट द्वारा बताया कि वादी अमित श्रीवास्तव निवासी ग्रीन सिटी टावर नं0 10 मकान नं0 801 चिनहट थाना चिनहट लखनऊ ने थाना चिनहट पर सूचना दिया कि वादी का एक गोडाउन प्रेमबाग गनेशपुर रहमानपुर मटियारी चौराहा निकट कोल्ड स्टोर चिनहट के पास स्थित है। दिनांक 18/19-02-2021 रात्रि को वादी की दुकान से लोहे की ग्रिल व अन्य सामान को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है, व उक्त घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा था, जिसका हार्ड डिस्क भी अज्ञात चोरो द्वारा निकाल लिया गया है। इस सूचना थाना चिनहट पर मु0अ0सं0 166/2021 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

चिनहटः-दिनांक 21-02-2021 को थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि वादी श्री आशीष सिंह पुत्र लवकुश सिंह निवासी पचवस थाना छावनी जनपद बस्ती, हालपताः-कमता सुरेन्द्र नगर ज्योति बिहार कालोनी थाना चिनहट लखनऊ ने थाना चिनहट पर सूचना दिया कि वादी का भाई आशुतोष सिंह अपने दोस्त हिमांशु गुप्ता के साथ घर से सांई काम्पलेक्स पर चाय पीने गया था। दिनांक 20-02-2021 को समय 09.30 बजे सांय को अज्ञात लोग आये और वादी के भाई हिमांशु को मारा पीटा, गाली गलौज किया व जान से मारने की धमकी देते हुए बाराबंकी की तरफ भाग गये। इस सूचना पर मु0अ0सं0 167/2021 धारा 323/504/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री लालचन्द्र यादव मो0नं0 9454338671 द्वारा की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि वादी का भाई बीबीडी में बीबीए का छात्र है।